

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, मधुबनी।

पटना, दिनांक-27/9/17

दिषय:- “मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय” योजनान्तर्गत नगर परिषद, मधुबनी में हर घर नल का जल उपलब्ध कराने हेतु कुल ₹1448.74499 लाख (चौदह करोड़ अड़तालीस लाख चौहत्तर हजार चार सौ नानावे रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए नगर निकाय को वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-2017 में 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग मद की 30 प्रतिशत कर्णाकित/उपलब्ध राशि के समतुल्य राज्य योजना से स्वीकृत होने वाली राशि में से तत्काल ₹300.39402 लाख (तीन करोड़ उनचालीस हजार चार सौ दो रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने हेतु “मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना” प्रारंभ किया गया है। योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या- 1287, दिनांक- 25.02.2016 निर्गत किया गया है।

2. विभागीय संकल्प के कंडिका- 04 अनुसार जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की रणनीति निम्नवत है :-

(i) इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों को सघन एवं निरंतर बसे घरों के लिए पेय जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता आधारित सतही जल/भूगर्भीय जल का उपयोग करके योजनाएँ बनायी जाएगी। लगभग 15-20 प्रतिशत क्षमता Overhead Tank के माध्यम से सृजित की जाएगी एवं शेष क्षमता के लिए Direct Pumping से आपूर्ति करने का प्रावधान किया जाएगा।

(ii) ऐसी बसावटें, जो शहरी क्षेत्रों के किनारे पर अलग से स्थित है, उनमें छोटी विकेंद्रित योजनाएँ ली जाएगी, जिसमें बोरिंग कर समरसेबुल पम्प के माध्यम से Direct Pumping किया जाएगा।

(iii) शहरी स्थानीय निकायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयोजन से छोटी जलापूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा। बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा मॉडल

/s/

परियोजना तैयार करके, सक्षम तकनीकी स्वीकृति के उपरांत, नगर निकायों को उपलब्ध करायी जाएगी। नगर निकायों द्वारा उनके पास उपलब्ध निधि से वार्ड के अंदर या अंतरवार्ड महत्व की छोटी योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाएगा।

(iv) इस क्रम में शहरी स्थानीय निकायें, पूर्व से गाड़ें गये ट्यूबवेल, जिनका जीर्णोद्धार करना हो या क्षमता विकसित करनी है, उसके लिए भी कार्य ले सकेंगे।

(v) छोटी जलापूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं पर तकनीकी स्वीकृति बिहार राज्य जल पर्षद के मुख्य अभियंता के स्तर पर गठित समिति द्वारा की जायेगी। इस संबंध में समय-समय पर नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिशा निर्देश दिया जायेगा।

(vi) योजना का क्रियान्वयन 'E-tendering' के माध्यम से ही किया जायेगा।

3. विभागीय संकल्प के कंडिका- 05 (i) के अनुसार नगर निकायों को “मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना” के अंतर्गत निम्नांकित स्रोतों से निधि प्राप्त होगी :-

(i) 14वें वित्त आयोग की 30 प्रतिशत राशि (स्थानीय नगर निकायों का पूर्णतया हिस्सा)

(ii) पंचम राज्य वित्त आयोग की 30 प्रतिशत राशि (स्थानीय नगर निकायों को पूर्णतया हिस्सा)

(iii) हर घर नल जल निश्चय योजना अंतर्गत उपर्युक्त क्रमांक- (i) और (ii) के योग के समतुल्य राशि, राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना से स्थानीय नगर निकायों को दी जाएगी।

4. नगर निकायों में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के कार्यान्वयन हेतु संकल्प के प्रावधानों के अनुसार बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा गुणवत्ता प्रभावित एवं गुणवत्ता अप्रभावित 250, 500, 1000 एवं 1500 घरों में नल का जल पहुँचाने हेतु कुल 08 मॉडल प्राक्कलन तैयार कर पत्रांक- 05, दिनांक- 10.01.2017 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्राक्कलन अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित है। राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र के 09 जिले यथा- पूर्णियाँ, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, बेगुसराय एवं खगड़िया जिलों के नगर निकाय गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र हैं। इन नगर निकायों में आयरन रिमुवल् प्लांट के साथ मॉडल प्राक्कलन तैयार किया गया है। मॉडल प्राक्कलन की स्थिति निम्नवत है :-

क्र० सं०	परिवारों की संख्या	गुणवत्ता अप्रभावित मॉडल प्राक्कलन की प्राक्कलित राशि	राज्य के 09 गुणवत्ता प्रभावित जिले के मॉडल प्राक्कलन की प्राक्कलित राशि
1	2	3	4
1.	250	20,21,000.00	23,40,100.00
2.	500	38,92,800.00	45,29,100.00
3.	1000	89,57,800.00	1,01,79,800.00
4.	1500	1,48,44,300.00	1,67,43,700.00

5. वर्तमान में जिन नगर निकायों में बिहार राज्य जल पर्षद/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा पूर्व से जलापूर्ति योजनाओं का क्रियान्वयन जिन वार्डों/क्षेत्रों में किया गया है, वैसे वार्डों/क्षेत्रों में नगर निकाय द्वारा प्रत्येक घरों में केवल नल-जल का संयोजन (House Hold Connection) किया जायेगा एवं आवश्यकतानुसार अवशेष पाईप लाईन विस्तारीकरण का कार्य भी किया जायेगा।
6. चूँकि नगर पंचायतों में सामान्यतः एक वार्ड में 500 परिवार तथा नगर परिषद् में 1000 परिवार होते हैं इसलिए योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की अनुशंसा क्रमशः 500 एवं 1000 परिवारों को आधार मानकर की जा रही है। इसमें नगर पंचायतों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे 500 परिवारों के लिए एक मॉडल का चयन करें या 250 परिवारों के लिए दो मॉडल प्राक्कलन का चयन करें। इसी प्रकार नगर परिषदों में 1000 परिवारों के लिए 500 के दो या 250 के चार या 500 के एक और 250 के दो मॉडल का चयन करें। मॉडल प्राक्कलन का चयन भूमि की उपलब्धता, वार्ड का आकार एवं तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर किया जायेगा।
7. नगर परिषद्, मधुबनी को 1000 परिवार वाले गुणवत्ता अप्रभावित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर हर घर नल का जल उपलब्ध कराने हेतु निम्न तालिका के स्तंभ- 4 के अनुरूप कुल ₹1448.74499 लाख (चौदह करोड़ अड़तालीस लाख चौहत्तर हजार चार सौ निनानवे रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए नगर निकाय को वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-2017 में 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग मद की 30 प्रतिशत कर्णांकित/उपलब्ध राशि के समतुल्य राज्य योजना से स्वीकृत होने वाली राशि में से तत्काल स्तंभ- 9 के अनुरूप ₹300.39402 लाख (तीन करोड़ उनचालीस हजार चार सौ दो रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में विभागीय राज्यादेश सं०-231, दिनांक-27-2-12 के आलोक में निम्नवत आवंटित की जाती है :-

(राशि लाख में)

नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	सर्वे डाटा के अनुसार ऐसे परिवारों की संख्या जिनके पास पाईप लाईन से पानी का कनेक्शन उपलब्ध नहीं है।	तकनीकी/प्रशासनिक अनुमोदन की राशि	वित्तीय वर्ष 2015-16 में 14वें वित्त आयोग का 30% एवं पंचम राज्य वित्त आयोग की 30% उपलब्ध राशि	वित्तीय वर्ष 2016-17 में 14वें वित्त आयोग के प्रथम तथा द्वितीय किस्त का 30% एवं पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रथम किस्त की प्राप्त होने वाली 30% राशि	पेयजल निश्चय योजना हेतु नगर निकाय मद की कुल उपलब्ध राशि (5+6)	वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य योजना से आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना से तत्काल आवंटित राशि (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
नगर परिषद्, मधुबनी	नगर परिषद्, मधुबनी शहरी पाईप जलापूर्ति योजना।	16173	1448.74499	138.06335	162.33067	300.39402	0.00	300.39402

अर्थात कुल आवंटित राशि ₹300.39402 लाख (तीन करोड़ उनचालीस हजार चार सौ दो रु०) मात्र।

✓

8. उक्त आवंटित राशि ₹300.39402 लाख (तीन करोड़ उनचालीस हजार चार सौ दो रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधुबनी होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 423, दिनांक- 31.03.2016 एवं पत्रांक- 811, दिनांक- 12.08.2016 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के उपरांत विभागीय संकल्प संख्या- 1287, दिनांक- 25.02.2016 की कंडिका- 5 (ii) के अनुरूप खोले गये खाते में राशि रखी जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नहीं की जाएगी।

9. उक्त आवंटित कुल राशि ₹300.39402 लाख (तीन करोड़ उनचालीस हजार चार सौ दो रु०) मात्र की निकासी माँग सं०- 48 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2215- जलापूर्ति तथा सफाई- उप मुख्य शीर्ष 01- जल पूर्ति-लघु शीर्ष -192- नगर पालिकाओं/नगर परिषद् को सहायता - उप शीर्ष 0101- पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- P 2215011920101 राज्य योजना स्कीम कोड URB 50 66, विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों का निर्माण से की जाएगी।

10. राशि की निकासी के बाद टी० भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जायेगा। वित्त विभाग के परिपत्र सं०-1496/वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

11. क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा। राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ सरकार को अवगत कराया जायेगा।

12. योजना का कार्यान्वयन निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जायेगा :-

(i) योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा तैयार किये गये एवं अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर किया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन हेतु संशोधित मार्गदर्शिका भी निर्गत किया जा चुका है। उक्त प्राक्कलन एवं संशोधित मार्गदर्शिका विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है, जिसकी सूचना विभागीय पत्रांक- 123, दिनांक- 11.01.2017 द्वारा सभी नगर निकायों एवं जिला शहरी विकास अभिकरणों को दिया जा चुका है। नगर निकाय द्वारा योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। योजना के संधारण के लिए अलग से दिशा-निर्देश निर्गत किया जायेगा।

(ii) नगर निकाय द्वारा प्रत्येक House Hold Connection देने के क्रम में मकान मालिक का नाम, पता, आधार नम्बर, मोबाईल नं० एवं तस्वीर अपने अभिलेख में रखने के अतिरिक्त उनसे एक प्रमाण पत्र भी लेना

✓

सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके घर में नल का जल उपलब्ध हो गया है। नल जल कनेक्शन से संबंधित सारी जानकारी विभाग द्वारा विकसित MIS पर Upload किया जायेगा।

(iii) योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।

(iv) संकल्प की कंडिका- 4 (v) के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं पर तकनीकी स्वीकृति बिहार राज्य जल पर्षद के मुख्य अभियंता के स्तर पर गठित समिति द्वारा की जायेगी। इस संबंध में समय-समय पर विभाग द्वारा दिशा निर्देश दिया जायेगा।

(v) ऐसे नगर निकाय जहाँ जलापूर्ति हेतु विशिष्ट प्रकार की समस्या यथा- पथरीला इलाका, जल स्रोत में कठिनाई इत्यादि हो, वैसे नगर निकायों में बिहार राज्य जल पर्षद से तकनीकी सहायता प्राप्त कर योजनाओं का कार्यान्वयन किया जायेगा। आवश्यकतानुसार इसके लिए स्वीकृत राशि में अनुमान्य सीमा तक परिवर्तन भी किया जा सकता है।

(vi) राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवर्दन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(vii) उक्त राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही/की गई योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।

(viii) उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

13. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

14. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

15. विभागीय संकल्प संख्या-1287, दिनांक- 25.02.2016 के कंडिका- 06 के अनुरूप अनुश्रवण की व्यवस्था एवं कंडिका- 07 के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था की जायेगी।

16. योजना का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प संख्या- 1287, दिनांक- 25.02.2016 तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। आवंटित राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गई है।



17. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, मधुबनी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/जला०-01-07/2017 232 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 23.2.17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल/ जिला पदाधिकारी, मधुबनी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, मधुबनी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-2, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

आनंद . 23/2

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*** अनौपचारिक
रूप से परामर्शित**

* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-27/02/17

विषय:- "मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय" योजनान्तर्गत नगर परिषद्, मधुबनी में हर घर नल का जल उपलब्ध कराने हेतु कुल ₹1448.74499 लाख (चौदह करोड़ अड़तालीस लाख चौहत्तर हजार चार सौ नानावे रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए नगर निकाय को वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-2017 में 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग मद की 30 प्रतिशत कर्णांकित/उपलब्ध राशि के समतुल्य राज्य योजना से स्वीकृत होने वाली राशि में से तत्काल ₹300.35402 लाख (तीन करोड़ उनचालीस हजार चार सौ दो रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने हेतु "मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना" प्रारंभ किया गया है। योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या- 1287, दिनांक- 25.02.2016 निर्गत किया गया है।

2. विभागीय संकल्प के कंडिका- 04 अनुसार जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की रणनीति निम्नवत है :-

(i) इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों की सघन एवं निरंतर बसे घरों के लिए पेय जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता आधारित सतही जल/भूगर्भीय जल का उपयोग करके योजनाएँ बनायी जाएंगी। लगभग 15-20 प्रतिशत क्षमता Overhead Tank के माध्यम से सृजित की जाएगी एवं शेष क्षमता के लिए Direct Pumping से आपूर्ति करने का प्रावधान किया जाएगा।

(ii) ऐसी बसावटें, जो शहरी क्षेत्रों के किनारे पर अलग से स्थित है, उनमें छोटी विकेन्द्रित योजनाएँ ली जाएगी, जिसमें बोरिंग कर समरसेबुल पम्प के माध्यम से Direct Pumping किया जाएगा।

u

(iii) शहरी स्थानीय निकायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयोजन से छोटी जलापूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा। बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा मॉडल परियोजना तैयार करके, सक्षम तकनीकी स्वीकृति के उपरांत, नगर निकायों को उपलब्ध करायी जाएगी। नगर निकायों द्वारा उनके पास उपलब्ध निधि से वार्ड के अंदर या अंतरवार्ड महत्व की छोटी योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाएगा।

(iv) इस क्रम में शहरी स्थानीय निकायों, पूर्व से गाड़ें गये ट्यूबवेल, जिनका जीर्णोद्धार करना हो या क्षमता विकसित करनी है, उसके लिए भी कार्य ले सकेंगे।

(v) छोटी जलापूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं पर तकनीकी स्वीकृति बिहार राज्य जल पर्षद के मुख्य अभियंता के स्तर पर गठित समिति द्वारा की जायेगी। इस संबंध में समय-समय पर नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिशा निर्देश दिया जायेगा।

(vi) योजना का क्रियान्वयन 'E-tendering' के माध्यम से ही किया जायेगा।

3. विभागीय संकल्प के कंडिका- 05 (i) के अनुसार नगर निकायों को "मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना" के अंतर्गत निम्नांकित स्रोतों से निधि प्राप्त होगी :-

(i) 14वें वित्त आयोग की 30 प्रतिशत राशि (स्थानीय नगर निकायों का पूर्णतया हिस्सा)

(ii) पंचम राज्य वित्त आयोग की 30 प्रतिशत राशि (स्थानीय नगर निकायों को पूर्णतया हिस्सा)

(iii) हर घर नल जल निश्चय योजना अन्तर्गत उपर्युक्त क्रमांक- (i) और (ii) के योग के समतुल्य राशि, राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना से स्थानीय नगर निकायों को दी जाएगी।

4. नगर निकायों में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के कार्यान्वयन हेतु संकल्प के प्रावधानों के अनुसार बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा गुणवत्ता प्रभावित एवं गुणवत्ता अप्रभावित 250, 500, 1000 एवं 1500 घरों में नल का जल पहुँचाने हेतु कुल 08 मॉडल प्राक्कलन तैयार कर पत्रांक- 05, दिनांक- 10.01.2017 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्राक्कलन अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित है। राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र के 09 जिले यथा- पूर्णियाँ, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, बेगुसराय एवं खगड़िया जिलों के नगर निकाय गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र हैं। इन नगर निकायों में आयरन रिमुवल प्लांट के साथ मॉडल प्राक्कलन तैयार किया गया है। मॉडल प्राक्कलन की स्थिति निम्नवत है :-

क्र० सं०	परिवारों की संख्या	गुणवत्ता अप्रभावित मॉडल प्राक्कलन की प्राक्कलित राशि	राज्य के 09 गुणवत्ता प्रभावित जिले के मॉडल प्राक्कलन की प्राक्कलित राशि
1	2	3	4
1.	250	20,21,000.00	23,40,100.00
2.	500	38,92,800.00	45,29,100.00

3.	1000	89,57,800.00	1,01,79,800.00
4.	1500	1,48,44,300.00	1,67,43,700.00

5. वर्तमान में जिन नगर निकायों में बिहार राज्य जल पर्षद/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा पूर्व से जलापूर्ति योजनाओं का क्रियान्वयन जिन वार्डों/क्षेत्रों में किया गया है, वैसे वार्डों/क्षेत्रों में नगर निकाय द्वारा प्रत्येक घरों में केवल नल-जल का संयोजन (House Hold Connection) किया जायेगा एवं आवश्यकतानुसार अवशेष पाईप लाईन विस्तारीकरण का कार्य भी किया जायेगा।

6. चूँकि नगर पंचायतों में सामान्यतः एक वार्ड में 500 परिवार तथा नगर परिषद में 1000 परिवार होते हैं इसलिए योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की अनुशंसा क्रमशः 500 एवं 1000 परिवारों को आधार मानकर की जा रही है। इसमें नगर पंचायतों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे 500 परिवारों के लिए एक मॉडल का चयन करें या 250 परिवारों के लिए दो मॉडल प्राक्कलन का चयन करें। इसी प्रकार नगर परिषदों में 1000 परिवारों के लिए 500 के दो या 250 के चार या 500 के एक और 250 के दो मॉडल का चयन करें। मॉडल प्राक्कलन का चयन भूमि की उपलब्धता, वार्ड का आकार एवं तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर किया जायेगा।

7. नगर परिषद, मधुबनी को 1000 परिवार वाले गुणवत्ता अप्रभावित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर हर घर नल-का जल उपलब्ध कराने हेतु निम्न तालिका के स्तंभ- 4 के अनुरूप कुल ₹1448.74499 लाख (चौदह करोड़ अड़तालीस लाख चौहत्तर हजार चार सौ निनानवे रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए नगर निकाय को वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-2017 में 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग मद की 30 प्रतिशत कर्णाकित/उपलब्ध राशि के समतुल्य राज्य योजना से स्वीकृत होने वाली राशि में से तत्काल स्तंभ- 9 के अनुरूप ₹300.39402 लाख (तीन करोड़ उनचालीस हजार चार सौ दो रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)

नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	सर्वे डाटा के अनुसार ऐसे परिवारों की संख्या जिनके पास पाइप लाईन से पानी का कनेक्शन उपलब्ध नहीं है।	तकनीकी/प्रशासनिक अनुमोदन की राशि	वित्तीय वर्ष 2015-16 में 14वें वित्त आयोग का 30% एवं पंचम राज्य वित्त आयोग की 30% उपलब्ध राशि	वित्तीय वर्ष 2016-17 में 14वें वित्त आयोग के प्रथम तथा द्वितीय किस्त का 30% एवं पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रथम किस्त की प्राप्त होने वाली 30% राशि	पेयजल निश्चय योजना हेतु नगर निकाय मद की कुल उपलब्ध राशि (5+6)	वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य योजना से स्वीकृत राशि	वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना से तत्काल स्वीकृत राशि (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
नगर परिषद, मधुबनी	नगर परिषद, मधुबनी शहरी पाईप जलापूर्ति योजना।	16173	1448.74499	138.06335	162.33067	300.39402	0.00	300.39402

64

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹300.39402 लाख (तीन करोड़ उनचालीस हजार चार सौ दो रु०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

8. उक्त स्वीकृत राशि ₹300.39402 लाख (तीन करोड़ उनचालीस हजार चार सौ दो रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधुबनी होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 423, दिनांक- 31.03.2016 एवं पत्रांक- 811, दिनांक- 12.08.2016 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के उपरांत विभागीय संकल्प संख्या- 1287, दिनांक- 25.02.2016 की कंडिका- 5 (ii) के अनुरूप खोले गये खाते में राशि रखी जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नहीं की जाएगी।

9. उक्त स्वीकृत कुल राशि ₹300.39402 लाख (तीन करोड़ उनचालीस हजार चार सौ दो रु०) मात्र की निकासी माँग सं०- 48 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2215- जलापूर्ति तथा सफाई- उप मुख्य शीर्ष 01- जल पूर्ति-लघु शीर्ष -192- नगर पालिकाओं/नगर परिषद् को सहायता - उप शीर्ष 0101- पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- P 2215011920101 राज्य योजना स्कीम कोड URB 50.66, विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों का निर्माण से की जाएगी।

10. राशि की निकासी के बाद टी० भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जायेगा। वित्त विभाग के परिपत्र सं०-1496/वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

11. क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा। राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ सरकार को अवगत कराया जायेगा।

12. योजना का कार्यान्वयन निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जायेगा :-

(i) योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा तैयार किये गये एवं अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर किया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन हेतु संशोधित मार्गदर्शिका भी निर्गत किया जा चुका है। उक्त प्राक्कलन एवं संशोधित मार्गदर्शिका विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है, जिसकी सूचना विभागीय पत्रांक- 123, दिनांक- 11.01.2017 द्वारा सभी नगर निकायों एवं जिला शहरी विकास अभिकरणों को दिया जा

चुका है। नगर निकाय द्वारा योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। योजना के संधारण के लिए अलग से दिशा-निर्देश निर्गत किया जायेगा।

(ii) नगर निकाय द्वारा प्रत्येक House Hold Connection देने के क्रम में मकान मालिक का नाम, पता, आधार नम्बर, मोबाईल नं० एवं तस्वीर अपने अभिलेख में रखने के अतिरिक्त उनसे एक प्रमाण पत्र भी लेना सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके घर में नल का जल उपलब्ध हो गया है। नल जल कनेक्शन से संबंधित सारी जानकारी विभाग द्वारा विकसित MIS पर Upload किया जायेगा।

(iii) योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।

(iv) संकल्प की कंडिका- 4 (v) के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं पर तकनीकी स्वीकृति बिहार राज्य जल पर्षद के मुख्य अभियंता के स्तर पर गठित समिति द्वारा की जायेगी। इस संबंध में समय-समय पर विभाग द्वारा दिशा निर्देश दिया जायेगा।

(v) ऐसे नगर निकाय जहाँ जलापूर्ति हेतु विशिष्ट प्रकार की समस्या यथा- पथरीला इलाका, जल स्रोत में कठिनाई इत्यादि हो, वैसे नगर निकायों में बिहार राज्य जल पर्षद से तकनीकी सहायता प्राप्त कर योजनाओं का कार्यान्वयन किया जायेगा। आवश्यकतानुसार इसके लिए स्वीकृत राशि में अनुमान्य सीमा तक परिवर्तन भी किया जा सकता है।

(vi) राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवदेन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(vii) उक्त राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही/की गई योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।

(viii) उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

13. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

14. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

15. विभागीय संकल्प संख्या-1287, दिनांक- 25.02.2016 के कंडिका- 06 के अनुरूप अनुश्रवण की व्यवस्था एवं कंडिका- 07 के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था की जायेगी।

BT

16. योजना का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प संख्या- 1287, दिनांक- 25.02.2016 तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। आवंटित राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गई है।

17. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब/जला०-01-07/2017 के पृष्ठ सं०-.....14...../टि० पर दिनांक- 21.02.2017 को प्राप्त है एवं सक्षम अधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....14...../टि० पर दिनांक- 21.02.2017 को प्राप्त है।

18 इसकी सूचना प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, मधुबनी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधुबनी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/जला०-01-07/2017 231

/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 27/2/17

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, मधुबनी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधुबनी/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, मधुबनी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-2, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

आनंद